

सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक 28.06.2024

इटावा पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना भरथना पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- वादिनी द्वारा न्यायालय में अभियुक्त अवधेश राजपूत के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के संबंध में दिये गये प्रार्थना पत्र के द्वारा न्यायालय के 156(3) के आदेश पर थाना भरथना पर मु0अ0सं0 104/24 धारा 376,323.504 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 28.06.2024 को थाना भरथना पुलिस टीम द्वारा आपराधिक सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 104/24 से संबंधित अभियुक्त को कृष्णा नगर चौराहा तुरैया मार्ग के पास से समय 08:45 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

- अवधेश कुमार पुत्र वीरेन्द्र सिंह उर्फ सन्तोष सिंह निवासी नगला वाले मौजा मल्हौसी थाना भरथना जनपद इटावा उम्र करीब 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

- मु0अ0सं0 104/2024 धारा 376/323/506 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा।

पुलिस टीम:- निरी0 श्री देवेन्द्र कुमार प्रभारी थाना भरथना, निरी0 नरेन्द्र कुमार मिश्र, का0 अंकुश कुमार।